

दिनांक 25.11.2022

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता उपस्थित। अभियुक्तगण को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार नैनीताल से पेश किया गया। पत्रावली आज शेष अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 24ब प्रस्तुत। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत। पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य **दिनांक 26.11.2022** को पेश हो।

रवि प्रकाश
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।